आवेदक की घोषणाएं

(घोषणा के बिन्दु क्र.1-9 स्नातकोत्तर, स्नातक एव डिप्लोमा स्तर के विद्यार्थियों के लिए एवं बिन्दु क्र.10-12 केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए हैं)

मैं घोषणा करता/करती हूं कि :

1. मैं विश्वविद्यालय के समस्त नियमों, निर्देशों, सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन करूंगा/करूंगी।
2. विश्वविद्यालय के नियम, अनुशासन व व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी। अपना व्यवहार संयत, शालीन एवं विनम्र रखते हुए प्रत्येक प्रकरण में विश्वविद्यालय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी।
3. ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा/लूंगी जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं निहित उद्देश्यों का अहित हो।
4. कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का पालन करूंगा/करूंगी अन्यथा मुझे सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी / मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. मैं घोषणा करता/करती हूं कि, मैं पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान कोई नौकरी, रोजगार, व्यवसाय नहीं करूंगा/करूंगी। मैं पाठ्यक्रम अवधि में नियमित अध्ययन कार्य करूंगा/ करूंगी। यदि पाठ्यक्रम के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मैं नौकरी, रोजगार, व्यवसाय कर रहा/रही हूं तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
6. मैं किसी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में भाग नहीं लूंगा/लूंगी।
7. मैं विश्वविद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान के लिए दो-पहिया वाहन एवं चार-पहिया वाहन का उपयोग करते समय अपने उचित लाइसेंस का तथा हैलमेट लगाने एवं सीट बैल्ट बांधने के नियम का पालन करूंगा/ करूंगी।
8. मैं विश्वविद्यालय की किसी भी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं करूंगा/करूंगी अपितु किसी समस्या की स्थिति में विश्वविद्यालय, विभाग के अधिकारियों के सहयोग से उसे दूर करूंगा/करूंगी।
9. मेरे विरुद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता, दुराचार, रैंगिंग, नकल प्रकरण, आपराधिक कृत्य के विरुद्ध कोई न्यायालयीन, विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। यदि हां तो विवरण दें-
   ....
   ....
10. राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार चार वर्षीय आनर्स पाठ्यक्रम में वही विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे जिनके 12वीं में 60 प्रतिशत अंक हो। (5 प्रतिशत की छूट केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी) अन्यथा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति मानी जायेगी। निर्देशानुसार समय-समय पर प्राप्त राज्य शासन से प्राप्त निर्देश मान्य होगें।
11. मुझे विदित है कि वर्तमान में यह विश्वविद्यालय/यू जी सी के अकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल में शामिल नहीं किया गया है। अतः परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

12. चूंकि वर्तमान पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, इस संबंध यू.जी. सी. एवं राज्य शासन के दिशानिर्देश में बदलाव भी पाया जा रहा है। अतः विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि इस पाठ्यक्रम को भविष्य में भी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर इसमें बदलाव कर सकें।

मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी पूर्णत: सत्य है। किसी भी तथ्य को न तो छिपाया है और न ही कोई असत्य, भ्रामक जानकारी दी है।

दिनांक ....

भवदीय

हस्ताक्षर ....

नामः...

पिता/पति का नाम : ....

पताः ....

....

दूरभाष, मोबाईल नं. ....